राजस्थान सरकार
बाल अधिकारिता विभाग
राजस्थान स्टेट चाईल्ड प्रोटेक्शन सोसायटी

20/198, कावेरी पथ, सैक्टर–2, मानसरोवर, जयपुर।
फोन नं.– 0141-2399335, 2399336, ई–मेल – dcr.raj@rajasthan.gov.in

क्रमांकः एफ 23(2)(1) ग्रुप फोस्टर केयर/गो.धा.यो./बा.अ.वि./2021/5333 दिनांकः 06.05.2021

आदेश

विषयः– गोरा धाय ग्रुप फोस्टर केयर योजना दिशा–निर्देश, 2021 के क्रियान्वयन के संबंध में।

किशोर न्याय (बालकों की देखरेख और संरक्षण) अधिनियम, 2015 की धारा 44(7) एवं किशोर न्याय (बालकों की देखरेख और संरक्षण) आदर्श नियम, 2016 के नियम 23(14) में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्य सरकार ग्रुप फोस्टर केयर (सामूहिक पालन–पोषण देखरेख) कार्यक्रम के क्रियान्वयन हेतु **"गोरा धाय ग्रुप फोस्टर केयर योजना दिशा–निर्देश, 2021"** लागू करती हैंः–

1. ग्रुप फोस्टर केयर की आवश्यकता एवं उद्देश्य ::

(अ) संयुक्त राष्ट्र द्वारा बच्चों को वैकल्पिक देखरेख उपलब्ध कराने हेतु वर्ष 2009 में लागू किए गए दिशा–निर्देश में परिवार हर बच्चे के अधिकार है, के सिद्वांत पर विभिन्न वैकल्पिक देखरेख कार्यक्रम (दत्तक ग्रहण/फोस्टर केयर/किनशिप केयर/स्पोंसरशिप कार्यक्रम/आफ्टर केयर) शुरू करने पर जोर दिया गया है। संयुक्त राष्ट्र बाल अधिकार अधिवेशन 1989 में भी बच्चों को परिवार के माध्यम से लालन–पालन, प्यार एवं स्नेह आधारित देखरेख सुनिश्चित करने की बात कही गई है।

(ब) राष्ट्रीय बाल नीति, 2013 भी यह मानती है कि सभी बच्चों को पारिवारिक माहौल में विकास, हंसी खुशी के वातावरण में प्यार और समझ का अधिकार है।

(स) किशोर न्याय (बालकों की देखरेख और संरक्षण) अधिनियम, 2015 की धारा 44 एवं किशोर न्याय (बालकों की देखरेख और संरक्षण) आदर्श नियम, 2016 के नियम 23 के तहत ग्रुप फोस्टर केयर कार्यक्रम संचालित किया जाना है।

(द) पारिवारिक देखरेख से वंचित देखरेख एवं संरक्षण की आवश्यकता वाले बच्चों के परिवार, स्नेह, देखरेख, स्वास्थ्य एवं अपनत्व की पूर्ति के लिये नवाचार के रूप में गोरा धाय ग्रुप फोस्टर केयर फैसिलिटी संचालित की जानी है।

2. लाभान्वित श्रेणी ::

(अ) ग्रुप फोस्टर केयर में 0–18 वर्ष आयु के देखरेख एवं संरक्षण की आवश्यकता वाले ऐसे बालक/बालिका जिन्हें लंबे समय तक परिवार आधारित देखरेख की आवश्यकता है।

3. ग्रुप फोस्टर केयर से बच्चों को जोड़ने में जिला बाल संरक्षण इकाई की भूमिका ::

1. जिला बाल संरक्षण इकाई द्वारा ग्रुप फोस्टर केयर योजना के तहत् गोरा धाय ग्रुप फोस्टर केयर फैसिलिटी के संचालन के लिये जिला स्तर पर पंजीकृत स्वयंसेवी

संस्था को चिन्हित किया जायेगा। इस प्रयोजन हेतु इकाई द्वारा विभिन्न माध्यमों से भावी पंजीकृत स्वयंसेवी संस्था को चिन्हित करने का कार्य संपादित किया जायेगा।

2. जिला बाल संरक्षण इकाई द्वारा चिन्हित कोई स्वयंसेवी संस्था के अतिरिक्त अन्य कोई स्वयंसेवी संस्था जो देखभाल और संरक्षण की आवश्यकता वाले बच्चों के लिए ग्रुप फोस्टर केयर हेतु फैसिलिटी के संचालन करने में इच्छुक हो, के द्वारा प्राप्त आवेदनों पर भी आवश्यक विचार उपरान्त निर्णय लिया जा सकेगा।
3. स्वयंसेवी संस्था द्वारा किशोर न्याय (बालकों की देखरेख और संरक्षण) आदर्श नियम, 2016 में वर्णित प्रारूप 38 में जिला बाल संरक्षण इकाई को आवेदन प्रस्तुत किया जायेगा।
4. स्वयंसेवी संस्था द्वारा गोरा धाय ग्रुप फोस्टर केयर फैसिलिटी की मान्यता के लिए आवेदन के साथ नियम, विधान, संगम–ज्ञापन, साधारण सभा की सूची, न्यासियों की सूची, पदाधिकारियों की सूची, पिछले 03 वर्षों के बैंलेंस शीट (तुलन–पत्र), वार्षिक रिपोर्ट, स्वयंसेवी संस्था द्वारा प्रदान की गई सामाजिक या सार्वजनिक सेवा के पिछले अभिलेख इत्यादि की एक प्रति आवेदन के साथ प्रस्तुत की जायेगी।
5. जिला बाल संरक्षण इकाई द्वारा उपयुक्त सुविधा का संचालन करने वाली स्वयंसेवी संस्था के पदाधिकारियों एवं देखभालकर्ताओं का साक्षात्कार किया जायेगा तथा भावी फैसिलिटी में उपलब्ध सुविधाओं एवं देखभालकर्ताओं का मूल्यांकन किया जायेगा।
6. जिला बाल संरक्षण इकाई द्वारा स्वयंसेवी संस्था के अपेक्षित मापदण्ड पूरा करने की स्थिति में गोरा धाय ग्रुप फोस्टर केयर फैसिलिटी के रूप में मान्यता प्राप्त करने के लिए इकाई की अनुशंषा के साथ प्रस्ताव को संबंधित बाल कल्याण समिति को अग्रेषित किया जायेगा।
7. जिला बाल संरक्षण इकाई द्वारा स्वयंसेवी संस्था की भावी ग्रुप फोस्टर केयर फैसिलिटी में उपलब्ध सुविधाओं एवं देखभालकर्ताओं के संदर्भ में उपलब्ध कराये गये विवरण का संबंधित क्षेत्र के 2 प्रतिष्ठित व्यक्तियों से पुष्टि की जायेगी।
8. जिला बाल संरक्षण इकाई द्वारा स्वयंसेवी संस्था की बाल सुरक्षा नीति का प्रति–परीक्षण किया जायेगा।
9. जिला बाल संरक्षण इकाई द्वारा स्वयंसेवी संस्था की भावी ग्रुप फोस्टर केयर फैसिलिटी हेतु चिन्हित देखभालकर्ताओं का चयन उनकी योग्यता, आशय, क्षमता एवं बच्चों की देखरेख करने के पूर्व अनुभव के आधार पर किया जायेगा–
    I. देखभालकर्ता (पति–पत्नी) विगत 2 वर्ष से राजस्थान में निवासरत हो।
    II. देखभालकर्ता के मध्य न्यूनतम 2 वर्ष का स्थाई वैवाहिक सम्बन्ध होना चाहिए।
    III. देखभालकर्ता आयकरदाता होने चाहिए।
    IV. देखभालकर्ता का कोई आपराधिक रिकॉर्ड नहीं होना चाहिए।
    V. देखभालकर्ता के आयु संबंधी प्रमाण पत्र, निवास प्रमाण पत्र, आय प्रमाण पत्र, आयकर रिर्टन की प्रति, चिकित्सीय प्रमाण पत्र, पुलिस सत्यापन रिपोर्ट एवं 02 प्रतिष्ठित व्यक्तिओं की गवाही आवश्यक होगी।
10. जिला बाल संरक्षण इकाई द्वारा बाल कल्याण समिति को अग्रेषित करने से पूर्व स्वयंसेवी संस्था द्वारा चिन्हित देखभालकर्ताओं को संबंधित विषय (जैसे पालन पोषण प्राप्त करने वाले बच्चे, बच्चे की संभावित पृष्ठभूमि, सामूहिक पालन पोषण देखरेख

क्या है तथा पालन पोषण प्रदान करने वाले उपयुक्त सुविधा से अपेक्षाएं) से आमुखीकरण कराया जायेगा।

11. जिला बाल संरक्षण इकाई द्वारा ग्रुप फोस्टर केयर फैसिलिटी के निरीक्षण, बच्चे की बाल अध्ययन रिपोर्ट तथा स्वयंसेवी संस्था द्वारा चिन्हित देखभालकर्ताओं के साथ बच्चे की अनुकूलता के आधार पर ग्रुप फोस्टर केयर फैसिलिटी में बच्चे स्थापन करने की अनुशंषा संबंधित बाल कल्याण समिति को प्रेषित की जायेगी।

4. <u>ग्रुप फोस्टर केयर से बच्चों को जोड़ने में बाल कल्याण समिति की भूमिका</u> ::

1. बाल कल्याण समिति द्वारा जिला बाल संरक्षण इकाई से प्राप्त स्वयंसेवी संस्था के प्रस्ताव पर आवेदन प्राप्त होने की तारीख से 15 दिवस की अवधि में उचित निर्णय लिया जायेगा। समिति द्वारा लिये गए निर्णय से लिखित में संबंधित जिला बाल संरक्षण इकाई एवं स्वयंसेवी संस्था को अवगत कराया जायेगा।
2. बाल कल्याण समिति द्वारा ग्रुप फोस्टर केयर फैसिलिटी के रूप में मान्यता प्रदान करने के संबंध में प्रारूप 39 में आदेश जारी किया जायेगा।
3. ग्रुप फोस्टर केयर फैसिलिटी के रूप में किसी स्वयंसेवी संस्था की मान्यता आदेश दिनांक से 03 वर्ष के लिए मान्य होगी, तथा जिसे संतोषजनक पाये जाने पर और 03 वर्ष की अवधि के लिए नवीनीकृत किया जा सकेगा।
4. बाल कल्याण समिति द्वारा बच्चे के ग्रुप फोस्टर केयर फैसिलिटी में स्थापन की उपयुक्तता का निर्धारण पूर्व में बच्चे के किये गये पालन पोषण, बच्चे के सर्वोत्तम हित एवं बच्चे की प्राथमिकता के आधार पर किया जायेगा। उक्त निर्णय के दौरान समिति निम्नलिखित कारकों को भी ध्यान में रखा जायेगा–

    I. बच्चे के कटु अनुभव का स्तर
    II. मादक पदार्थो की लत
    III. विकलांगता का स्तर एवं प्रकार
    IV. सामाजिक व्यवहार
    V. किसी भी विशेष देखरेख की आवश्यकता (असाध्य बीमारी इत्यादि)
    VI. बच्चें को संस्थागत देखरेख से विस्थापित करने की आवश्यकता
    VII. सुविधाओं की उपलब्धता
    VIII. प्रवासी (घुमंतु) परिवारों के बच्चे (मौसमी प्रवासन)
    IX. भाई–बहन का बाल देखरेख संस्थान में होना
    X. मामले के अनुसार बच्चे या माता–पिता/अभिभावक की पसंद या सहमति
    XI. वैकल्पिक उपलब्धता/विकल्प की उपयुक्ता।

5. किसी बच्चे को ग्रुप फोस्टर केयर फैसिलिटी में भेजते समय इस बात का विशेष ध्यान रखा जावें कि वह बच्चे की जरूरतों की पूर्ति के साथ–साथ उसके सर्वोत्तम हित में हो।
6. बाल कल्याण समिति द्वारा ग्रुप फोस्टर केयर फैसिलिटी के देखभालकर्ताओं के साथ बच्चे के रैफरल के पश्चात अंतरिम आदेश के माध्यम से बच्चे एवं देखरेख प्रदानकर्ता को 15 दिन की अवधि के लिए बैठक करने की अनुमति दी जायेगी। इसके पश्चात बच्चे द्वारा ग्रुप फोस्टर केयर फैसिलिटी की विजिट कराई जायेगी तथा बच्चों से मिलवाया जायेगा।
7. यदि भावी पोष्य बच्चा 7 वर्ष से अधिक आयु का है तो समिति इस संबंध में उसकी राय दर्ज कर अग्रिम निर्णय लेगी।

8. समिति बच्चे को संस्थागत देखरेख से ग्रुप फोस्टर केयर फैसिलिटी में ले जाने के कारण हुये वातावरण परिवर्तन के लिए तैयार करने के लिए आवश्यक काउंसलिंग (परामर्श) की उपलब्धता सुनिश्चित करेगी।
9. समिति द्वारा जिला बाल संरक्षण इकाई से प्राप्त अनुकूलता की रिपोर्ट की समीक्षा के पश्चात प्रारूप 32 में बच्चे के ग्रुप फोस्टर केयर के तहत् उपयुक्त सुविधा में स्थापन हेतु अंतिम आदेश दिये जायेगें तथा इसकी प्रति इकाई को प्रेषित की जायेगी।
10. ग्रुप फोस्टर केयर फैसिलिटी के देखभालकर्ताओं द्वारा प्रारूप 33 में बच्चे की ग्रुप फोस्टर केयर के संबंध में बंधपत्र पर हस्ताक्षर प्राप्त करेगी।
11. विशेष आवश्यकता वाले बच्चों का ग्रुप फोस्टर केयर में स्थापन का निर्धारण उपयुक्त सुविधा में ऐसे बच्चों हेतु आवश्यक सुविधा की उपलब्धता के आधार पर किया जायेगा।
12. यदि भावी पोष्य बच्चे के भाई–बहन भी मौजूद हैं तो समिति उन्हें भी ग्रुप फोस्टर केयर के तहत् ग्रुप फोस्टर केयर फैसिलिटी में रखेगी।
13. समिति ग्रुप फोस्टर केयर के तहत् ग्रुप फोस्टर केयर फैसिलिटी में अधिकतम 08 पोष्य बच्चे (भाई–बहन की स्थिति के अतिरिक्त) दे सकेगी।
14. समिति को यदि पोष्य बच्चे के ग्रुप फोस्टर केयर फैसिलिटी में सामंजस्य स्थापित नहीं कर पा रहा है या समिति द्वारा यह महसूस किया जाता है कि ग्रुप फोस्टर केयर फैसिलिटी में ग्रुप फोस्टर केयर में बच्चे की आवश्यकताओं की पूर्ति नहीं कर पा रहे हैं या उसके साथ दुर्व्यवहार हो रहा तो वह बच्चे की अभिरक्षा वापस ले सकेगी।
15. देखभालकर्ताओं द्वारा पोष्य बच्चे के साथ दुर्व्यवहार/हिंसा के मामले में समिति द्वारा नियमानुसार विधिक कार्यवाही अमल में लायेगी।
16. समिति द्वारा ग्रुप फोस्टर केयर में लाभान्वित बच्चों/उपयुक्त सुविधा का विस्तृत विवरण हेतु पृथक–पृथक पत्रावली संधारित की जायेगी।

5. <u>वित्तीय प्रावधान</u> ::

1. ग्रुप फोस्टर केयर फैसिलिटी के संचालन हेतु अधिकृत स्वयंसेवी संस्था को पोष्य बच्चों के बेहतर पालन–पोषण हेतु जिला बाल संरक्षण इकाई द्वारा निम्नानुसार निर्धारित पालन–पोषण देखरेख भत्ता जारी किया जायेगा–

   I. **रख–रखाव मद –** पोष्य बालक/बालिका के पोषण, वस्त्र, शिक्षण, प्रशिक्षण एवं दैनिक आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु राशि रूपये 4,000/– प्रति माह प्रति बालक।
   II. **मानदेय/पारिश्रमिक मद –** पोष्य बालक/बालिकाओं की देखभाल के लिये 02 देखभालकर्ता के मानदेय/पारिश्रमिक हेतु राशि रूपये 20,000/– प्रति देखभालकर्ता प्रति माह।
   III. **विविध मद –** उपयुक्त सुविधा के संचालन से जुड़े अन्य व्यय हेतु राशि रूपये 10,000/– प्रति माह।

2. ग्रुप फोस्टर केयर फैसिलिटी के संचालन हेतु वित्तीय सहायता बाल संरक्षण सेवायें योजना के अतंर्गत निर्धारित मद में से उपलब्ध कराई जायेगी।
3. जिला बाल संरक्षण इकाई द्वारा ग्रुप फोस्टर केयर फैसिलिटी के संचालन अवधि अथवा बाल कल्याण समिति द्वारा निर्धारित पालन–पोषण देखरेख अवधि, जो भी पहले हो, तक प्रदान किया जायेगा।

4. ग्रुप फोस्टर केयर के तहत् ग्रुप फोस्टर केयर फैसिलिटी को पालन–पोषण देखरेख भत्ता संबंधित स्वयंसेवी संस्था के नाम से स्थापित बैंक खाते के माध्यम से मासिक स्तर पर जारी किया जायेगा।

6. ग्रुप फोस्टर केयर फैसिलिटी की जिम्मेदारियां ::

1. पालन पोषण देखरेख उपलब्ध कराने वाले देखभालकर्ताओं द्वारा आदर्श नियमों के नियम 23(19) एवं नियम 27(19) की आवश्यक रूप से पालना सुनिश्चित की जायेगी।
2. ग्रुप फोस्टर केयर के तहत् ग्रुप फोस्टर केयर फैसिलिटी में आवास, भोजन, शिक्षा प्रदान करने एवं देखरेख के मानकों को बनाए रखने के अतिरिक्त ग्रुप फोस्टर केयर फैसिलिटी द्वारा यथासंभव ग्रुप फोस्टर केयर में 7 से 11 वर्ष एवं 12 से 18 वर्ष के आयु वर्ग के बालक एवं बालिकाओं के लिए अलग–अलग सुविधाएं संचालित की जायेगी।
3. ग्रुप फोस्टर केयर फैसिलिटी द्वारा पोष्य बच्चे के गंभीर रोग से बीमार होने अथवा उसके गुम होने/पलायन (भाग जाने) करने अथवा उसके साथ दुर्व्यवहार होने अथवा बच्चे द्वारा किसी प्रकार का आपराधिक कृत्य अथवा स्वयं को हानि पहुंचाने वाला व्यवहार करने या उसकी मृत्यु होने की स्थिति में तत्काल संबंधित जिला बाल संरक्षण इकाई एवं बाल कल्याण समिति को अवगत करायेगा।
4. ग्रुप फोस्टर केयर फैसिलिटी द्वारा बच्चे को आत्मनिर्भर बनाने हेतु जीवन कौशल, व्यवसायिक एवं उच्च शिक्षा तथा कौशल विकास प्रशिक्षण (14 वर्ष से अधिक आयु के बच्चों को) उपलब्ध कराया जायेगा।
5. ग्रुप फोस्टर केयर फैसिलिटी द्वारा पोष्य बच्चे की देखरेख अथवा उसके जैविक माता/पिता/रिश्तेदार से मिलने के संबंध में संबंधित बाल कल्याण समिति द्वारा जारी आदेश की पालना सुनिश्चित करेंगे।
6. ग्रुप फोस्टर केयर फैसिलिटी द्वारा बच्चे को समय–समय पर उसके प्रकरण की वस्तुस्थिति एवं अद्यतन स्थिति से अवगत कराया जायेगा। तथा वह प्रकरण की गोपनीयता एवं बच्चे की निजता को बनाए रखेगा।
7. ग्रुप फोस्टर केयर फैसिलिटी में रह रहे बच्चों का विस्तृत केस एवं उपलब्ध कराई जा रही सुविधाओं का रिकार्ड संधारित किया जायेगा।
8. बच्चों को उपलब्ध कराई जा रही सुविधाओं एवं बच्चों मे हो रहे परिवर्तन से नियमित अन्तराल पर संबंधित बाल कल्याण समिति को अवगत कराया जायेगा।
9. ग्रुप फोस्टर केयर फैसिलिटी में रखे गए बच्चों के आवास के दौरान बच्चों की देखरेख एवं सुरक्षा पूर्ण जिम्मेदारी संबंधित स्वयंसेवी संस्था की होगी।
10. ग्रुप फोस्टर केयर फैसिलिटी में रखे गए बच्चे के साथ किसी भी प्रकार का शोषण या दुर्व्यवहार नहीं हो, इस बाबत् आवश्यक प्रबन्ध किये जायेंगे।
11. ग्रुप फोस्टर केयर फैसिलिटी द्वारा किशोर न्याय (बालकों की देखरेख और संरक्षण) अधिनियम, 2015 के प्रावधानों के पालना के अतिरिक्त राज्य सरकार तथा बाल कल्याण समिति द्वारा समय–समय पर जारी आदेश/दिशा–निर्देश की पालना की जायेगी।

7. ग्रुप फोस्टर केयर फैसिलिटी के नवीनीकरण एवं निरस्तीकरण प्रक्रिया ::

1. ग्रुप फोस्टर केयर की समयावधि में वृद्धि/नवीनीकरण कराने अथवा निरस्तीकरण के संबंध में 1 माह पूर्व स्वयंसेवी संस्था द्वारा संबंधित जिला बाल संरक्षण इकाई एवं बाल कल्याण समिति को सूचित किया जायेगा।

2. बाल कल्याण समिति द्वारा अनुबंध की समावधि में वृद्धि पूर्व जिला बाल संरक्षण इकाई की रिपोर्ट एवं पोष्य बच्चे के देखभालकर्ताओं के साथ संबंध एवं उसकी वर्तमान स्थिति के संबंध में प्रस्तुत रिपोर्ट के आधार एवं स्वयं के स्तर पर की गई जांच को ध्यान में रखते हुये बच्चे के सर्वोत्तम हित में निर्णय लिया जायेगा।
3. बाल कल्याण समिति द्वारा ग्रुप फोस्टर केयर फैसिलिटी के संबंध में प्राप्त होने वाली शिकायतों का निस्तारण अधिकतम 15 दिन के अंदर किया जायेगा।
4. यदि ग्रुप फोस्टर केयर फैसिलिटी द्वारा पालन–पोषण देखरेख अनुबंध की समयावधि में नवीनीकरण कराये बिना पोष्य बच्चे को अपने साथ रखते हैं, तो बाल कल्याण समिति द्वारा उसे गैर–कानूनी मानते हुये आवश्यक विधिक कार्यवाही अमल में लाई जायेगी।
5. बाल कल्याण समिति को पोष्य बच्चे के हित में पालन पोषण देखरेख उपलब्ध कराने वाली ग्रुप फोस्टर केयर फैसिलिटी के साथ किए गए अनुबंध को किसी भी समय समाप्त करने का अधिकार होगा।
6. बाल कल्याण समिति द्वारा ग्रुप फोस्टर केयर फैसिलिटी में बच्चों को प्रदान की जा रही देखरेख और संरक्षण के संतोषजनक नहीं होने या सुविधा में मौजूद व्यवस्थाओं या प्रबंधन के मानक असंतोषजनक होने या अधिनियम की धारा 54 के अधीन गठित निरीक्षण समिति की किसी प्रतिकूल रिपोर्ट या किसी अन्य कारण से अधिनियम की धारा 51(2) एवं नियम 27(7) के तहत लिखित में कारणों का उल्लेख करते हुए बोर्ड या समिति द्वारा आदेश में उल्लेखित दिनांक से ग्रुप फोस्टर केयर फैसिलिटी की मान्यता निरस्त की जा सकेगी।
7. बाल कल्याण समिति द्वारा ग्रुप फोस्टर केयर फैसिलिटी में किसी बच्चे के साथ शोषण या दुर्व्यवहार कारित करने की स्थिति में भी उपयुक्त सुविधा की मान्यता निरस्त की जा सकेगी।
8. बाल कल्याण समिति द्वारा पारित आदेश उपरान्त संबंधित संगठन/संस्था ग्रुप फोस्टर केयर फैसिलिटी के रूप में कार्य नहीं कर पायेंगे।
9. बाल कल्याण समिति द्वारा जिन ग्रुप फोस्टर केयर फैसिलिटी की मान्यता निरस्त की गई है, उनकी सूचना जिला बाल संरक्षण इकाई और स्टेट चाईल्ड प्रोटेक्शन सोसायटी को भेजी जाएगी।

8. ग्रुप फोस्टर केयर फैसिलिटी के निरीक्षण/पर्यवेक्षण/निगरानी ::

1. बाल कल्याण समिति द्वारा प्रारूप 35 के अनुसार ग्रुप फोस्टर केयर फैसिलिटी का मासिक निरीक्षण किया जायेगा।
2. जिला बाल संरक्षण इकाई द्वारा ग्रुप फोस्टर केयर के संबंध में निम्नानुसार रिकॉर्ड संधारण किया जायेगाः–

   (अ) ग्रुप फोस्टर केयर हेतु बाल कल्याण समिति से अनुमोदित बच्चों का रजिस्ट्रर।
   (ब) भावी देखभालकर्ताओं का रजिस्टर।
   (स) ग्रुप फोस्टर केयर फैसिलिटी के संचालन संबंधी पत्रावली।
   (द) प्रत्येक बच्चे की व्यक्तिगत पत्रावली मय संबंधित दस्तावेज/पत्राचार।
   (य) प्रारूप 34 के अनुसार रिकॉर्ड संधारण।
   (र) निरीक्षण पत्रावली।

3. जिला बाल संरक्षण इकाई द्वारा जिले में ग्रुप फोस्टर केयर के बारे में प्रचार–प्रसार, देखभालकर्ताओं के प्रशिक्षण/आमुखीकरण एवं प्रोत्साहन में अनुभवी स्वंयसेवी संस्थाओं की सहायता ली जा सकेगी।

4. जिला बाल संरक्षण इकाई द्वारा योजना के तहत् लाभान्वितों का विवरण त्रैमासिक स्तर पर राजस्थान स्टेट चाईल्ड प्रोटक्शन सोसायटी/बाल अधिकारिता विभाग, राजस्थान को प्रेषित किया जायेगा।

9. **<u>अनुवर्तन/संचालन/समीक्षा</u>** ::

1. गोरा धाय ग्रुप फोस्टर केयर योजना दिशा–निर्देश, 2021 के क्रियान्वयन हेतु राज्य स्तर पर राजस्थान स्टेट चाईल्ड प्रोटेक्शन सोसायटी एवं जिला स्तर जिला बाल संरक्षण इकाई क्रियान्वयक अभिकरण के रूप में कार्य करेंगे।
2. गोरा धाय ग्रुप फोस्टर केयर योजना दिशा–निर्देश, 2021 के बेहतर क्रियान्वयन, पर्यवेक्षण एवं पोषक माता/पिता, पोष्य बच्चों को आवश्यक सहयोग उपलब्ध कराने के लिए राजस्थान स्टेट चाईल्ड प्रोटेक्शन सोसायटी द्वारा अनुभवी स्वयंसेवी संस्थाओं के साथ अनुबंध हस्ताक्षर कर सहयोग प्राप्त किया जा सकेगा।
3. अधिकृत स्वयंसेवी संस्था द्वारा पोषक माता/पिता के पोष्य बच्चे के साथ सामंजस्य एवं बच्चे की समस्याओं के समाधान, आवश्यक काउंसलिंग, प्रचार–प्रसार, पोषक माता/पिता के प्रशिक्षण/आमुखीकरण के लिए सहयोग उपलब्ध करायेगी।
4. जिला बाल संरक्षण इकाई द्वारा त्रैमासिक स्तर पर संबंधित हितधारकों के साथ समीक्षा बैठक आयोजित की जायेगी।
5. अनुदान स्वीकृति, प्रशासनिक एवं अन्य कार्य सम्पादन हेतु राज्य स्तर पर मुख्य कार्यकारी अधिकारी, राजस्थान स्टेट चाईल्ड प्रोटेक्शन सोसायटी (आयुक्त, बाल अधिकारिता विभाग) तथा जिला स्तर पर सहायक निदेशक, जिला बाल संरक्षण इकाई एवं बाल अधिकारिता विभाग सक्षम होंगे।
6. राज्य सरकार के निर्देशों पर गोरा धाय ग्रुप फोस्टर केयर योजना दिशा–निर्देश, 2021 के अन्तर्गत (यदि कोई हो) निर्धारित प्रक्रियाओं/अभिलेख/जांच/निरीक्षण प्रतिवेदन, अनुबन्ध पत्र, शर्तों आदि में समय–समय पर संशोधन किया जा सकेगा।
7. गोरा धाय ग्रुप फोस्टर केयर योजना दिशा–निर्देश, 2021 के निर्वचन, विवेचन एवं संशोधन की शक्तियां राज्य सरकार में निहित होगी।

यह आदेश वित्त विभाग, राजस्थान की आई.डी. संख्या 162100307 दिनांक 15.04.2021 के अनुसरण में जारी किया जाता है। यह आदेश तत्काल प्रभाव से लागू होगा।

राज्यपाल की आज्ञा से,

(महेश चन्द्र शर्मा)
आयुक्त एवं विशिष्ट शासन सचिव
एवं
मुख्य कार्यकारी अधिकारी
राजस्थान स्टेट चाइल्ड प्रोटेक्शन सोसायटी

क्रमांकः एफ 23(2)(1) ग्रुप फोस्टर केयर/गो.धा.यो./बा.अ.वि./2021/5334–5741 दिनांकः 06.05.2021

प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतुः–

1. निजी सचिव, प्रमुख सचिव, माननीय मुख्यमंत्री महोदय, राजस्थान।
2. विशिष्ट सहायक, माननीय राज्यमंत्री महोदय, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, राजस्थान सरकार।

3. निजी सचिव, शासन सचिव, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, राजस्थान एवं अध्यक्ष, राजस्थान स्टेट चाईल्ड प्रोटेक्शन सोसायटी, राजस्थान।
4. संयुक्त शासन सचिव, वित्त (व्यय–2) विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर।
5. उप सचिव, राजस्थान राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग, राज. जयपुर।
6. समस्त जिला कलक्टर एवं अध्यक्ष, जिला बाल संरक्षण इकाई।
7. समस्त अध्यक्ष/सदस्यगण, बाल कल्याण समिति।
8. समस्त सहायक निदेशक, जिला बाल संरक्षण इकाई एवं बाल अधिकारिता विभाग।
9. समस्त अधीक्षक, राजकीय सम्प्रेक्षण गृह/विशेष गृह/सुरक्षित अभिरक्षा/किशोर गृह/बालिका गृह/शिशु गृह।
10. समस्त अधीक्षक/प्रभारी, गैर राजकीय बाल गृह/बालिका गृह/खुला आश्रय।
11. रक्षित पत्रावली।

उप निदेशक, सारा